बैंकर्स समितियों जैसे मंचों द्वारा आवधिक अन्तरालों पर की जाती है। पी एम आर वाई / आई आर डीपी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी करने और बाधाओं को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक निगरानी कक्ष को स्थापना की गई थी ताकि ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता-मानदंड

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

उन लघु एवं सीमान्त किसानों, कृषि-श्रमिकों और ग्रामीण-शिल्पियों के परिवारों को जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 11000/- रुपए से कम है।

(2) शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस यू एम ई)

वे बेरोजगार तथा अल्प-नियोजित शहरी गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 11850 रुपए से अधिक न हो और जो उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से रह रहे हों।

(3) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एस.आर.वाई.)

18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच ऐसे युवा जो मैट्रिक पास या फेल हो या जिन्होंने आई टी आई पास किया हो या जिन्होंने न्यूनतम 6 महीनों की अवधि का सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा किया हो और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 24000/- रुपए से अधिक न हो तथा लाभदाही के माता-पिता को वार्षिक आय 24000/- रुपए तक हो। आवेदनकर्ता उस क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से स्थायी रुप से रह रहा हो।

(4) सफाई कर्मचारियों (स्कावेंजरो) की मुक्ति एवं पुनरुद्धार योजना (एसएलआरएस) सभी सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित।

(5) विभेदी ब्याज दर (डी आर आई) योजना

पात्रता के लिए उच्चतम आय शहरी या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 7200/- रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6400/- रुपए होनी चाहिए। स्वामित्व वाली जमीन के आकार के संबंध में सिंचाई वाली जमीन एक एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए और असिंचित भूमि के संबंध में यह आकार 2.5 एकड़ से अधिक न हो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए स्वामित्व वाली जमीन का मानदंड लागू नहीं होगा। योजना के अंतर्गत आने वाले ऋणकर्ताओं के महत्वपूर्ण वर्गों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा काफी कम वेतन पर कार्य कर रहे अन्य व्यक्ति कृषि और / या सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे व्यक्ति, वे लोग जो स्वयं वन्य उत्पादों को एकत्र करते हैं या आरम्भिक प्रसंस्करण कार्य करते हैं, वे लोग जो कुटीर और ग्रामीण उद्योगों तथा व्यवसायों में बहुत कम वेतन पर लगे हैं, गरीब योग्य छात्र आदि शामिल है।

सरकार को बैंक ऋण

814. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1995 के तीसरे सप्ताह के दौरान केन्द्रीय सरकार पर विभिन्न बैंकों की ऋण-राशि की मात्रा 25,873 करोड़ रुपये तक हो गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार को किन कारणों में बैंकों से इतनी बड़ी मात्रा में से ऋण-राशि स्वीकार करनी पड़ी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवी प्रसाद पॉल): (क) से (ग) सरकार (केन्द्रीय व राज्य सरकारों) को दिए गए निवल बैंक ऋण, जिसमें भारतीय रिर्जव बैंक व अन्य बैंकों जैसे वाणिज्यिक और सहकारी बैंक दोनों के द्वारा दिया गया ऋण शामिल है, में 18 अगस्त, 1995 तक 25873 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। विवरण नीचे दिए गए है:-

सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि

(करोड़ रुपये)

	20 अगस्त, 1993 से 19 अगस्त, 1994 (अनन्तिम)	19 अगस्त, 1994 से 18 अगस्त, 1995 (अनन्तिम)
सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	14474	25873
क. सरकार को निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण (i+ii)	-19584	19890

(करोड़ रुपये)

	20 अगस्त, 1993 से 19 अगस्त, 1994 (अनन्तिम)	19 अगस्त, 1994 से 18 अगस्त, 1995 (अनन्तिम)
(i) केन्द्रीय सरकार	-19745	20146
(ii) राज्य सरकार	161	-256
ख. सरकार को अन्य बैंकों के ऋण	34058	5983

अ = अनन्तिम

जैसाकि ऊपर दिए गए आकंड़ों से देखा जा सकता है, 18 अगस्त, 1995 तक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वार्षिक वृद्धि 5983 करोड़ रुपये थी, जो उन की एक वर्ष पहले की वार्षिक वृद्धि (34058 करोड़ रुपये) के 1/5वें भाग से कम है।

Loans to Students for Medical and Dental Education

815. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court has directed the Central Government and the Reserve Bank of India to provide subsidised medical and dental education to students in the country;

(b) whehter Government have since issued directions to all nationalised banks for providing loans etc. to students under the Differential Rate of Interest for the current academic year as per directions of the Apex Body; and

(c) if so, the details thereof and the criteria to be adopted for sanctioning financial support to students?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) The Supreme Court of India's Order dated 11th August, 1995 contains inter-alia the following directions:

(i) The Central Government shall provide a subvention of Rupees five thousand per annum in respect of every student admitted in a private medical college, whether admitted against free/merit seat or against a payment seat, but not in respect of a student admitted against N.R.I./foreign student quote specified above. The subvention shall be made and continued until the student completes the course or for a period of five years whichever is earlier. The subvention amount by the Central Government shall be sent directly to the concerned college, towards fee, every year, commencing with Academic Year 1995-96. This direction shall be subject, of course, to be directions that may be issued by the larger Bench.

(ii) The RBI is directed to evolve a scheme for extending loans to the students staying in medical and dental colleges in private professional colleges. For this purpose, the study loans shall be deemed to be in priority sector and shall be dealt with as a category under Differential Rate of Interest. Pending evolving of such a scheme, the Supreme Court directed RBI to issue appropriate direction to the nationalised banks not later than 10 days from the date of the order and applicable to the academic year.

(b) and (c):Based on the directions of the Supreme Court, the RBI has issued instructions to all public sector banks on 19th August, 1995. A copy of the RBI's circular dated 19th August, 1995 is enclosed as statement.